

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक: प.9(59)चिस्वा/2/90 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 12.09.2011

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर।

विषय:- सेवारत पी. जी. अध्ययनरत दन्त चिकित्सकों को वेतन भुगतान बाबत।

05. (6)

महोदय,

16/9/11

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में अन्य सेवारत पी. जी. अध्ययनरत चिकित्सकों की भांति ही राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर से सेवारत दन्त चिकित्सक जो पी. जी. अध्ययनरत हैं को नियमानुसार वेतन भुगतान हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर को नियमानुसार बजट आवंटित करवाने की व्यवस्था करावें।

साथ ही बजट आवंटन होने तक सेवारत पी. जी. अध्ययनरत दन्त चिकित्सकों का बकाया वेतन सहित इनका वेतन इनके पूर्व पदस्थापन स्थान अथवा अन्य रिक्त पद से नियमानुसार आहरित करवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान - सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

कमांक: ई-28/राजपत्रित/प्री-पी.जी.-2009/2011/ 625

दिनांक :- 22.9.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कन्वेनर, प्री-पी.जी. एडमिशन बोर्ड, प्रीसिपल एण्ड कन्ट्रोलर, सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज एण्ड संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर।
6. प्रधानाचार्य राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि सेवारत कोटे के तहत पी.जी. (दन्त) करने गये चिकित्सकों का वेतन उनके पदस्थापन स्थान/रिक्त पद से आहरण कर भुगतान कराने का श्रम करें।
9. प्राचार्य, महात्मा गाँधी मेडीकल कॉलेज, सीतापुरा, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की बैबसाईट पर डालने का श्रम करावें।
11. गार्ड पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिनिदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।